बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–2–50/2014 83 /पटना, दिनांक :– 11.1.24

श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–14/13 दिनांक 29.05.2013 धारा–13(2) सह–पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0–1988 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2596 सह–पठित ज्ञापांक–2597 दिनांक 06.08.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i)(ग) के तहत निलंबित किया गया। साथ ही श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक–2598 अनु0 दिनांक 06.08.2014 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय के ज्ञापांक–606 दिनांक 10.12.2014 द्वारा प्रश्नगत् मामले में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अभिलेख अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक 1515 अनु0 दिनांक 21.11.2017 के माध्यम से प्राप्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया।

3. श्री शर्मा द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर C.W.J.C. No.13515/2016 में दिनांक 07.07.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर L.P.A. No.1414/2017 में दिनांक 23.11.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना संख्या–3723–सह–पठित ज्ञापांक 3724 दिनांक 29.12.2017 द्वारा श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त इससे असहमत होते हुए श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं इस आलोक में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिसूचना संख्या–328–सह–पठित ज्ञापांक–329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा इनके विरूद्ध शत–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया।

5. श्री शर्मा द्वारा अपने निलंबन अवधि के विनियमन हेतु विभाग को समर्पित आवेदन दिनांक 28.01.2020 के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त आदेश संख्या–977 दिनांक 26.05.2020 द्वारा उक्त निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा के रूप में विनियमित किया गया।

6. अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा दायर C.W.J.C. No. 2974/2020 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन रहने के दरम्यान श्री शर्मा द्वारा उक्त वाद में दायर I.A. No. 1 of 2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 19.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आदेश संख्या–2064 दिनांक 12.12.2022 द्वारा इनके निलंबन अवधि (दिनांक 06.08.2014 से दिनांक 28.12.2017) की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी, के रूप में विनियमित किया गया।

7. अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा दायर C.W.J.C. No. 2974/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या–1395–सह–पठित ज्ञापांक–1396 दिनांक 05.06.2023 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–328–सह–पठित ज्ञापांक–329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त किया गया। साथ ही इन्हें औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. उक्त वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए संचालन पदाधिकारी (श्री दीपक कुमार सिंह, तदेन प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त) से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इससे सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरान्त प्रश्नगत् मामले में श्री शर्मा को अधिसूचना (सकारण आदेश) संख्या–2401–सह–पठित ज्ञापांक–2402 दिनांक 10.11.2023 द्वारा आरोप मुक्त किया गया।

9. श्री शर्मा के पत्र दिनांक 13.11.2023 द्वारा निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया। तद्‌लोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिन आरोपों पर श्री शर्मा को दिनांक 06.08.2014 से 28.12.2017 तक निलंबित रखते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, उक्त आरोपों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री शर्मा को आरोप मुक्त किया गया है।

10. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि (दिनांक 06.08.2014 से 28.12.2017) के विनियमन के संबंध में पूर्व निर्गत आदेश संख्या–977 दिनांक 26.05.2020 को निरस्त करते हुए निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 06.08.2014 से 28.12.2017 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं अन्य भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

11/1/24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 83 /पटना, दिनांक :– 11.1.24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/1/24
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 83 /पटना, दिनांक :– 11.1.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार लोक सेवा आयोग/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर/पटना/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6/12, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :–आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकनपुरा, पोस्ट–बी0भी0 कॉलेज, पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.1.24

अवर सचिव